राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/ 2011/2197/टोंक

1– जगदीश पुत्र सुवा (मृतक)
जरिये वारिसान :–
1/1. रामकन्यादेवी पत्नि जगदीश
1/2. रामअवतार पुत्र जगदीश
1/3. बन्नालाल पुत्र जगदीश
समस्त निवासी डोडवाडी तहसील पीपलू जिला टोंक।
2– नन्दा पुत्र सुवा
3– कजोड पुत्र सुवा
समस्त जाति नाई निवासीगण डोडवाडी तहसील पीपलू जिला टोंक

.....अपीलांट्स

बनाम

1– छीतर पुत्र हरजी (मृतक)
जरिये वारिसान :–
1/1. रतनीदेवी बेवा छीतर
1/2. धर्मराज पुत्र छीतर
1/3. मुकेश पुत्र छीतर
1/4. लालचन्द पुत्र छीतर
समस्त जाति नाई निवासी ग्राम डोडवाडी तहसील पीपलू जिला टोंक।
1/5. कमलेशी पुत्री छीतर पत्नि रामप्रसाद जाति नाई निवासी माधोगंज तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।
1/6. ज्योति पुत्री छीतर पत्नि नारायण जाति नाई निवासी ग्राम नया टीला तहसील पीपलू जिला टोंक।
2– प्रेम पुत्र हरजी जाति नाई निवासी डोडवाडी हाल धर्मपत्नी रामलाल नाई निवासी नयाटीला तहसील पीपलू जिला टोंक।
3– तहसीलदार, पीपलू।

.....रेस्पोडेंट्स

खण्ड–पीठ
श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री हेमराज गुप्ता, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 14–08–2024

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08–02–2011 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलान्टस ने एक राजस्व वाद घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु विद्वान उपखण्ड अधिकारी पीपलू के न्यायालय में प्रतिवादी / रेस्पो व स्व0 धापू बेवा हरजी के विरूद्ध वाके मोजा डोडवाडी तहसील पीपलू में अवस्थित आराजी खसरा नं0 1001 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 879 मिन रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 891 मिन रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 1002 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 879 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा व 891 मिन रकबा 5 बिस्वा भूमि बाबत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नम्बर 879 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा का संयुक्त खाता प्रतिवादीगण के पिता हरजी पुत्र शंकर हिस्सा 1/2 एवं वादी के पिता सुवा पुत्र बजरंगा नाई का 1/2 हिस्सा था लेकिन सेटलमेन्ट में उक्त भूमियों का विभाजन करते हुये 2 नये नम्बर 1001 व 1002 बनाते हुये खसरा नम्बर 1001 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादीगण के पिता हरजी के नाम व 1002 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वादीगण के पिता सुवा के नाम अंकित कर दी। जबकि वास्तव में सुवा का कब्जा खसरा नम्बर 1001 पर था उसी अनुसार वादीगण आज भी काबिज कास्त चले आ रहे है। प्रतिवादीगण का कब्जा खसरा नम्बर 1002 पर चला आ रहा है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों व अधिकारियों ने वास्तविक बंटवारा एवं मौके अनुसार खसरा 1001 की भूमि का अंकन वादीगण के पिता के नाम दर्ज नहीं किया एवं उक्त भूमि गलत रूप से प्रतिवादीगण के

पिता के नाम दर्ज कर दी गयी, जिसे दुरूस्त करवाने के वादीगण अधिकारी है। उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में प्रतिवादीगण आराजी खसरा नम्बर 1001 से वादीगण के हक व अधिकारों को नकार रहे है एवं विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने तथा भूमि का हस्तान्तरण करने की धमकी वादीगण को दे रहे है। प्रतिवादीगण/ रेस्पो0 संख्या 1 व 2 व उनकी माता स्व0 धापू बेवा हरजी ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद के कथनों को अस्वीकार करते हुये यह कथन किया कि साबिक आराजी खसरा नं0 879 के 1/2–1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता थे जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही विवादित भूमि का बंटवारा कर लिया था जिसके तहत आराजी खसरा नम्बर 1001 प्रतिवादीगण के हक व हिस्से में आयी जिस पर वे काबिज काश्त चले आ रहे है। आराजी खसरा नम्बर 1001 का बंटवारा लगभग 30 वर्ष पूर्व हो चुका है। एक बार बंटवारा हो जाने पर उक्त भूमि का कानूनन दुबारा बंटवारा नही होता है न ही वाद पेश किया जा सकता है। धारा 63 आर0टी0 एक्ट के तहत भूमि अदला बदली करना प्रतिबन्धित है। धारा 11 सीपीसी के अनुसार वादीगण को वाद लाने का कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीगण का विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1001 से कोई वास्ता नहीं है न ही कोई हक व अधिकार है। वादीगण का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। अन्त में वाद वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालयों ने पक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम किये बिना ही उभयपक्षों की साक्ष्य लिये जाने के पश्चात अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23–3–2005 द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया। विद्धान उपखण्ड अधिकारी पीपलू के निर्णय व डिक्री दिनांक 23–3–2005 से व्यथित होकर अपीलान्टस ने विद्धान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 8–2–2011 द्वारा अपीलान्टस की अपील को अस्वीकार कर दी। विद्धान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के निर्णय व डिक्री दिनांक 8–02–2020 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमनें उभय पक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– विद्धान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विद्धान उपखण्ड अधिकारी पीपलू ने अभिकथनों के आधार पर 1 भी तनकीयात कायम नहीं

की, जबकि उनको अभिकथनों के आधार पर आदेश 14 नियम 1 व 5 सीपीसी के तहत वाद में आवश्यक तनकीयात कायम करनी चाहिये थी तथा तनकीयात के आधार पर पक्षकारों की साक्ष्य लिये जाने के पश्चात वाद का निस्तारण करना चाहिये था। उन्होंने वाद में आवश्यक प्रक्रिया अपनाये बिना ही बाद का निस्तारण कर दिया। विद्धान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के समक्ष अपीलान्टस की ओर से उपरोक्त आपत्ति उठायी गयी थी। उनको इसी आधार पर अपीलान्टस की अपील को स्वीकार कर प्रकरण पुनः विधि अनुसार निर्णय किये जाने हेतु विद्धान उपखण्ड अधिकारी पीपलू को रिमांड करना चाहिये था किन्तु उन्होंने सरसरी तौर पर अपीलान्टस द्वारा उठायी गयी आपत्ति को अनिर्णीत रखते हुये आदेश अन्तर्गत अपील पारित कर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 879 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा के संयुक्त खातेदार वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता थे जिनका विवादित भूमि में 1/2–1/2 हिस्सा था। साबिक आराजी खसरा नम्बर 879 के नये खसरा नम्बर 1001 व 1002 कायम किये गये थे। प्रतिवादीगण / रेस्पो0 ने इस तथ्य को अपने जवाबदावा में स्वीकार किया है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष यह बिन्दू निर्णीत किया जाना था कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 879 के नये खसरा नम्बर कायम किये जाते समय सेटलमेन्ट अधिकारियों को बरवक्त सेटलमेन्ट विवादित भूमि को पक्षकारों के मध्य विभाजन करने का अधिकार था। जैसा कि सेटलमेन्ट अधिकारियों ने विवादित भूमि को पक्षकारों के मध्य बांट दिया है जबकि उनको इस प्रकार भूमि का बंटवारा किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। वे केवल पूर्व के राजस्व रिकार्ड की स्थिति को रिपीट कर सकते है उनको राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का फेरबदल करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। उनके द्वारा किया गया बंटवारा विधि विरुद्ध था। ऐसे इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने बाबत अपीलान्टस ने अपना वाद प्रस्तुत किया था। विद्धान उपखण्ड अधिकारी पीपलू ने प्रकरण में प्रश्नगत विवाद को ध्यान में रखे बिना व समझे बिना पक्षकारों के मध्य पूर्व में सहमति के आधार पर हुये बंटवारे को आधार मानकर वादीगण के वाद को खारिज कर दिया। विद्धान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक ने भी इसी आधार पर अपीलान्टस की अपील को निरस्त कर कानूनी भूल की है। विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1001 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा जो साबिक खसरा नम्बर 879 से कायम हुआ है पर वादीगण अपने पिता के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त खसरा नम्बर अपीलान्टस के पिता को बंटवारे में प्राप्त हुई थी। किन्तु सेटलमेन्ट अधिकारियों ने बरवक्त सेटलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर के नये नम्बर कायम करते समय उक्त भूमि खसरा नम्बर 1001 प्रतिवादी / रेस्पो के पिता के खातेदारी में दर्ज कर दी. जो मौके व कब्जे के विपरीत थी। जबकि प्रतिवादीगण के पिता का कब्जा व काश्त आराजी खसरा 1002 पर था। सेटलमेन्ट अधिकारियों ने सहवन से राजस्व रिकार्ड मौके व कब्जे के विपरीत जाकर कायम किया था। जिसे दुरूस्त किये जाने बाबत वादीगण ने

अपना वाद प्रस्तुत किया था किन्तु दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बाबत कोई वाद बिन्दू कायम नहीं किये तथा वादीगण का वाद व अपील अपने अस्पष्ट व कारणरहित आदेश द्वारा निरस्त कर अपने अधिकारिता का दुरूपयोग किया है। दोनो अधिनस्थ न्यायालयों ने वादीगण/अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअन्दाज किया है। वादीगण ने अपने पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्यों में खसरा गिरदावरी सम्वत 2032–33 प्रस्तुत की थी जिससे आराजी खसरा नम्बर 1001 पर वादीगण का कब्जा बखूबी साबित हो गया था तथा वादीगण की और से उपस्थित गवाह, जो कि विवादित भूमि के पडीसी काश्तकार है, ने आराजी खसरा नम्बर 1001 की भूमि को वादीगण व उसके पिता के कब्जे काश्त की होना बताया है किन्तु दोनो ही अधिनस्थ न्यायालयों ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का कोई विवेचन किये बिना ही अपना निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावे। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने 2015 (1) आर.आर.टी. पेज 8, 2019 (1) आर.आर.टी. पेज 509, 2019 (2) आर.आर. टी. पेज 1120, 2016 (1) आर.आर.टी. पेज 210, 1999 आर. आर.डी. पेज 509 तथा 2014 आर.एल.आर. पेज 282 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि उभय पक्षकारान के पूर्वजों के मध्य लगभग 30–40 वर्ष पूर्व विभाजन हो चुका है तथा विभाजन में आये हिस्से पर ही पक्षकारान लम्बे समय से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण ने खसरा नंबर 1002 पर प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण का तथा खसरा नंबर 1001 पर अपीलार्थीगण/वादीगण का जो कथन अंकित किया है वह सरासर मिथ्या कथन है। खसरा नंबर 1001 का बंटवारा लगभग 30 वर्ष पूर्वकर होकर प्रतिवादी का नाम विधिवत रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकित चला आ रहा है। वादीगण हमें अपनी भूमि देकर हमारी भूमि लेना चाहते है जबकि धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् भूमि की अदला–बदली नहीं की जा सकती। विचारण न्यायालय ने उभय पक्षकारान को सुनकर वाद वादीगण खारिज किया है जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालय ने भी की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से निरस्त की जावे। अपने कथनो के समर्थन में उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2020 (27) आर.बी.जे. 478, 2014 (1) आर.आर.टी. 209, 2022 (1) आर.आर.टी. 538, 2021 (2) आर.आर.टी. 1408 तथा 2024 (1) डी.एन.जे. (रेवेन्यू) 608 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

6– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया।

7– प्रकरण में यह निर्विवाद है कि उभय पक्षकारान के मध्य संयुक्त खातेदारी की भूमि दर्ज रिकार्ड थी तथा दोनों पक्षकार इस बात से भी सहमत है कि उनके पूर्वजों के मध्य आपसी सहमति में बंटवारा हुआ है। अपीलार्थीगण का मुख्य कथन यह है कि विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है। विचारण न्यायालय द्वारा हालांकि प्रकरण में तनकीयाम कायम नहीं की है किन्तु उन्होंने प्रकरण का समग्र अवलोकन कर यह पाया है कि खसरा नंबर 1001 जिसके साबिक खसरा नंबर 879 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा एवं साबिक खसरा नंबर 891 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा की आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के पूर्वज हरजी के नाम है तथा खसरा नंबर 1002 जिसके साबिक खसरा नंबर 879 रकबा 2 बीधा 4 बिस्वा एवं साबिक खसरा नंबर 891 रकबा 5 बिस्वा है वादी के पूर्वज सुवा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है। विचारण न्यायालय ने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि जब पक्षकारान के पूर्वजों के समय ही बंटवारा हो चुका है, अतः इस स्तर पर पक्षकारान के मध्य खातेदारी में परिवर्तन करना उचित नहीं है। अतः विचारण न्यायालय ने तनकियात कायम नहीं कर भी जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है।

8– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी संवत 2019 से 2022 में खसरा नंबर 883 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नंबर 939 रकबा 2 बीधा 8 बिस्वा के खातेदार हरजी पुत्र शंकर एवं सुवा पुत्र बजरंग जाति नाई सा0 देह ब0हि0 बराबर अंकित है। मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नम्बर 879 मिन रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 891 मिन रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के हाल खसरा नं0 1001 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा तथा साबिक खसरा नम्बर 879 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा व 891 मिन रकबा 5 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1002 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कायम किये गये हैं। जमाबंदी संवत 2056 से 2059 में खसरा नंबर 1001 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जगदीश नन्दा कजोड पिसरान सुवा कौम नाई के नाम खसरा नंबर 1001 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा छीतर पुत्र हरजी प्रेम पुत्री हरजी धापू बेवा हरजी कौम नाई के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त राजस्व रिकार्ड से जाहिर है कि पक्षकारान के पूर्वज द्वारा आपस में सहमति से संयुक्त खातेदारी की भूमि का बंटवारा कर जिस भूमि पर वे काबिज थे उसी अनुसार काश्त करने लगे। हमारे विनम्र मत में जब पक्षकारान के मध्य तीस वर्ष पूर्व आपसी सहमति से बंटवारा हो चुका है तो तीस वर्ष की लम्बी अवधि के बाद वादीगण द्वारा यह उज्र उठाया जाना सेट्लमेंट विभाग ने साबिक खसरा नंबर का विभाजन कर नये खसरा नंबर 1001 का अंकन प्रतिवादी के पिता के नाम कर दिया व नये खसरा नंबर 1002 का अंकन वादीगण

के पिता के नाम कर दिया जबकि वादीगण के पिता का कब्जा नये खसरा नंबर 1001 पर था, जो बदस्तूर चला आ रहा है, उक्त कथन स्वीकार्य योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें अपीलीय न्यायालय ने भी हस्तक्षेप नहीं कर अपील खारिज की है।

9– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किये है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

10– परिणामतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08–02–2020 बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

(भंवर सिंह सान्दू)
सदस्य